

कार्यालय-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद।
पत्रांक/मान्यता/ शि0सं0/ 5143 / 2023-24 दिनांक 23/11/2023
प्रबन्धक,

लीलावती इंटरनेशनल स्कूल,
प्रताप विहार विजय नगर गाजियाबाद।

आप द्वारा अपने पत्र दिनांक 12-11-2023 द्वारा विद्यालय की मान्यता को स्थायी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अभिलेखों के अनुसार विद्यालय को कक्षा 06 से कक्षा 08 तक "ब" श्रेणी की मान्यता अस्थायी रूप से इस कार्यालय मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक मेरठ के पत्रांक/मान्यता-शि0 सं0/3687-90/1993-94/ दिनांक 30-09-1993 द्वारा प्रदान की गई थी।

सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद की संस्तुति के आधार पर शासनादेश संख्या- 89/ अरसठ-3-2018-2041 दिनांक 11-05-2019 एवं शासनादेश संख्या-196/अडसठ-3-2020-2041/2018 दिनांक 29 जून 2020 द्वारा किये गये संशोधन आदेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार मान्यता की नवीन शर्तें पूर्ण करने तथा विद्यालय के विरुद्ध कोई शिकायत न होने के कारण विद्यालय को दी गई मान्यता स्थायी की जाती है। विद्यालय को भविष्य में भी स्थायी मान्यता की शर्तों के मानक को बनाये रखना होगा अन्यथा विद्यालय की मान्यता के प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

(ओमप्रकाश यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

पृ0 सं0/शि0सं0/ / 2023-24 तद्वदिनांक
प्रतिलिपि- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

कार्यालय-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद।

पत्रांक/मान्यता/ शि0सं0/ 5744 / 2023-24 दिनांक 23/11/2023

प्रबन्धक,

लीलावती इंटरनेशनल स्कूल,
प्रताप विहार विजय नगर गाजियाबाद।

आप द्वारा अपने पत्र दिनांक 12-11-2023 द्वारा विद्यालय की मान्यता को स्थायी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अभिलेखों के अनुसार विद्यालय को कक्षा 01 से कक्षा 05 तक हिन्दी माध्यम की मान्यता अस्थायी रूप से इस कार्यालय के पत्रांक/मान्यता-शि0 सं0/2422-25/1988-89/ दिनांक 17-08-1988 द्वारा प्रदान की गई थी।

सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद की संस्तुति के आधार पर शासनादेश संख्या- 89/ अरसठ-3-2018-2041 दिनांक 11-05-2019 एवं शासनादेश संख्या-196/अडसठ-3-2020-2041/2018 दिनांक 29 जून 2020 द्वारा किये गये संशोधन आदेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार मान्यता की नवीन शर्तें पूर्ण करने तथा विद्यालय के विरुद्ध कोई शिकायत न होने के कारण विद्यालय को दी गई मान्यता स्थायी की जाती है। विद्यालय को भविष्य में भी स्थायी मान्यता की शर्तों के मानक को बनाये रखना होगा अन्यथा विद्यालय की मान्यता के प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

(ओमप्रकाश यादव)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

पृ0 सं0/शि0सं0/

/ 2023-24 तद्वदिनांक

प्रतिलिपि- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।